

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर०ए०एस०)

अपील संख्या : 38/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भरतपुर।

आवेदक

बनाम

देवेन्द्र कुमार पुत्र विशम्भर दयाल उम्र 55 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स
शिव शक्ति ट्रेडर्स, मण्डी अटलबन्ध, भरतपुर निवासी नीमदा गेट, भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 07.01.2022

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स
2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 24.05.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल
को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 07.01.2022 को गैरसायल उपस्थित।
इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि
दिनांक 27.10.2020 को प्रातः 10.00 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, मण्डी
अटलबन्ध, भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान

आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु एल्युमिनियम के एक भगोने में 70 किग्रा0 रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/652/एक्ट/2020/724 दिनांक 04.11.2020 द्वारा उक्त मावा का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का मावा विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की दुकान मैसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, मण्डी अटलबन्ध भरतपुर से मावा की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जांच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त मावा के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त मावा की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल के प्रति नरमरुख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 27.10.2020 को प्रातः 11.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की दुकान पर आम जनता के विक्रय हेतु मावा करीब 70 किग्रा0 रखा हुआ पाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/652/एक्ट/2020/724 दिनांक 04.11.2020 के अनुसार मावा का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Moisture contents% का मानक Max. 45.0% होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 44.44% पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है। इसी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
जगदीश प्रसाद गुप्ता बनाम देवेन्द्र कुमार
अपील संख्या 38/2021

कार R.M. Value of extracted fatty matter का मानक Min. 26.0 होना चाहिये था
परन्तु इसका मानक Nil पाया गया है जो निर्धारित मानक से बहुत कम है। दौराने सुनवाई
गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं
सावधानी पूर्वक फूड प्रोजेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल के विरुद्ध पूर्व में
प्रकरण संख्या 33/2017 दर्ज हुआ है। गैरसायल की यह द्वितीय गलती होने के कारण
भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को
दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई
अनियमितता के आधार पर 25000/-रूपये (पच्चीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित
किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर